न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 25 / 2023

1 नरपत सिंह आयु 65 साल पुत्र भानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 छतुसिंह पुत्र भींवसिंह
2 प्रहलाद सिंह पुत्र कजोड़सिंह
3 मदनसिंह पुत्र कजोड़सिंह
4 राजेन्द्र सिंह पुत्र भानसिंह
5 सुगन कंवर पत्नी भानीसिंह
6 प्रेमकंवर पत्नी मगनसिंह
7 अर्जुन सिंह पुत्र मगनसिंह
8 ओमपाल सिंह पुत्र मगनसिंह
9 भगवती कंवर पुत्री मगनसिंह
10 पान कंवर पुत्री मगनसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
11 अधिशाषी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
12 सहायक अभियंता (ग्रामीण) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
13 कनिष्ठ अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खूड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
14 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 पटवारी हल्का खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
16 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
17 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. बहैसियत भूधारक राज. सरकार।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय एस.डी.ओ. लक्ष्मणगढ़ प्रार्थना सं. 97/2023 उनवानी नरपतसिंह बनाम छतुसिंह आदि दिनांकित 21.04.2023 जिसके तहत प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थी के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.03.2023 को अपास्त किये जाने बावत आदेश पारित किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री हरफुल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7/4/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023, 21.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने आवेदन धारा 212 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 21.04.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.03.2023 में अप्रार्थी राजेन्द्र को उसके हिस्से की हद तक निर्माण कार्य की छुट प्रदान की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं. धारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर दिनांक 27.03.2023 को अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आगामी दिनांक 09.05.2023 नियत की गई थी, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी से पूर्व ही प्रिज्यूडिस होकर रेस्पोडेंट सं. 4 की ओर से प्रस्तुत एक साधारण आवेदन पर तथा अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मनमर्जी से निर्धारित आगामी तारीख पेशी से पूर्व ही आनन–फानन में किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में कोई कारण व आधार अंकित नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से चाहे अनुसार निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अपने ही द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 से हटकर उसी भूमि के बाबत दुबारा एक साधारण आवेदन पर आदेश पारित किया गया है जो आदेश कानून की श्रेणी में नहीं आता है, इस कारण भी न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश केवल मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि विवादित भूमियां अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 एवं अन्य रेस्पोडेन्टस की संयुक्त कब्जे, काश्त की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है कानूनन जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं किया जाता तब तक किसी भी पक्षकार को किसी विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने की अनुमति दिया जाना कतई संभव नहीं है। किन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर किये बिना ही रेस्पोडेन्ट सं. 4 को निर्माण करने की खुली छुट प्रदान कर दी है, जो विधि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एक तरह से मूल टी.आई. अंतिम निस्तारण की तरह ही पारित कर दिया गया है। जबकि पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत है तथा अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर जवाब पेश किया जाना है इसलिए भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने आवेदन धारा 212 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 21.04.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.03.2023 में अप्रार्थी राजेन्द्र को उसके हिस्से की हद तक निर्माण कार्य की छुट प्रदान की है। विचारण न्यायालय ने न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन जारी करने से पूर्व किये जा रहे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की इजाजत देकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने आवेदन धारा 212 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 21.04.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.03.2023 में अप्रार्थी राजेन्द्र को उसके हिस्से की हद तक निर्माण कार्य की छुट प्रदान की है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी के आवेदन पर अपीलान्ट को सुने बिना विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212 के मूल आवेदन का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 21.04.2023 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रथम दृष्टया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का निर्धारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर आगामी 2 माह में अंतिम निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर